ग्रामीण विकास एवं रोज़गार

12

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

मुख्य बिन्दु

- मनरेगा—वित्तीय वर्ष 2021—22 में 28.54 लाख परिवारों को रोजगार, 1,692.37 लाख मानव दिवस सृजित जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 51 है। वर्ष 2021—22 में 5,55,540 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2022—23 में सितम्बर तक 13.55 लाख परिवारों को रोजगार, 325.57 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 52 है। वर्ष 2022—23 में सितम्बर तक 6,185 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- वर्ष 2022—23 (सितंबर) में उपलब्ध राशि 2,281.26 करोड़ रू. से 1,498.81 करोड़ रू. व्यय।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :— वर्ष 2021—22 में सामुदायिक निवेश निधि से 34,402 स्व—सहायता समूहों को रू. 20,641.37 लाख, वर्ष 2022—23 में सितम्बर तक 8,292 समूहों को रू. 4,975.16 लाख ऋण प्रदाय। ?
- चक्रिय निधि से 2021—22 में 41,621 स्व—सहायता समूहों को रू. 6,243.15 लाख, 2022—23 में सितम्बर तक 8,640 समूहों को रू. 1,296.15 लाख प्रदाय।
- बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत वर्ष 2021—22 में 77,657 स्व—सहायता समूहों को रू. 92,481.62 लाख तथा वर्ष 2022—23 में सितम्बर तक 48,480 समूहों को रू. 52,480.88 लाख ऋण प्रदाय।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—योजनान्तर्गत वर्ष 2021—22 में 326 सड़कें लंबाई 2,314.34 कि.मी. एवं 15 वृहद पुल पूर्ण।

ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ में त्रि–स्तरीय पंचायत राजव्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों (11वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255.45 लाख है। जहां 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है।

12.1 वर्तमान में प्रदेश में 28 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा जनगणना 2011 के अनुसार 10971 ग्राम पंचायतें तथा 20126 ग्राम हैं एवं पंचायत विभाग 2019–20 के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायतें तथा 20,255 ग्राम स्थापित हैं प्रदेश के कुल 28 जिलों में से 14 जिले पूर्णरूपेण एवं 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 85 जनपद पंचायतें एवं 5,050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। पंचायतराज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केन्द्र से प्राप्तियां शामिल हैं।

छत्तीसगढ़में गाँव की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका – 12.1 ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
छ.ग: कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.40	176.15	208.33	255.45
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	9.42	22.72	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
छ.ग: ग्रामीण जनसंख्या (%)	70.93	83.91	104.29	119.52	145.5	166.47	196.08
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		18.30	24.29	14.60	21.74	14.41	17.79
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (%)		12.98	20.38	15.23	25.98	20.97	29.61
छ.ग: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जन संख्या के अनुपात में (%)	95.12	91.66	89.62	85.31	82.60	79.91	76.76
भारत: कुल जनसंख्या (लाख)	3611	4392	5482	6833	8464	10287	12109
भारत: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	13.31	21.64	24.8	28.66	23.87	21.54	17.7
भारत : ग्रामीण जनसंख्या(लाख)	2987	3603	4391	5238	6288	7426	8338
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		20.62	21.87	19.29	20.05	18.10	12.28
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (लाख)		616	788	847	1050	1138	912
भारत: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में (%)	82.72	82.04	80.10	76.66	74.29	72.19	68.86

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है की छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशकों में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पायी गयी है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का ग्रामीण भाग 95 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 77 प्रतिशत तक हो गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी जो अब 2011 जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है।

12.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ–सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक हैं, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। भारत ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है।

तालिका 12..2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक

सूचकांक	2019-21			2020		
	शही	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल
अशोधित जन्म दर				17.3	23.4	22.0
कुल प्रजनन क्षमता दर	1.4	1.9	1.8			
शिशु मृत्यु दर	26.2	48.7	44.3	31	40	38
5 साल के नीचे मृत्यु दर	28.9	55.8	50.4			
अशोधित मृत्यु दर				6.3	8.4	7.9
Source:- NFHS 2019-21				Source:- SRS 2019		

निम्न तालिकाओ में छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

तालिका 12.3 जीवित जन्म 2008–2021 संस्थागत प्रसव (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8	57.9	50.7	59.2	73.8	80.5	88.0	86.7
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0	68.2	47.6	40.0	52.3	37.7	40.5	85.7	83.2
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2	73.9	72.2	73.4	36.1	40.0	90.4	89.9

Source : Annual Vital Statistics Report

तालिका 12.4 मृत्यु 2008–21 संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9	29.1	30.5	36.8	40.8	39.9	26.2	24.3
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5	20.9	22.6	25.3	21.0	13.9	9.9	3.7
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56.8	46.3	49.5	56.0	19.9	21.0	51.2	58.3

Source : Annual Vital Statistics Report

राज्य में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं यथा ग्रामीण विकास के अंतर्गत महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आजीविका मिशन (NRLM) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना आदि कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

12.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :— देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक—07 सितम्बर, 2005 को जारी की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ में 02 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा), द्वितीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल 2007 से 04 जिले (रायपुर, जांजगीर—चांपा, कोरबा एवं महासमुंद) तथा तृतीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।

12.3.1 उद्देश्य :—

- अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।
- किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है उनके द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी लागू है।
- अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवार की महिलाएं, रोजगार हेतु आवेदन करती है; उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम एक तिहाई महिला लाभान्वित हो।

- ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) रोजगार के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें योग्यता एवं क्षमता अनुसार काम दिया जाता है।
- काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरान्त न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा **"छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम–2013"** बनाया गया है।
- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013–14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
- वन अधिकार पत्रधारक आदिवासी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, बशर्ते उन परिवारों के पास FRA अधिनियम, 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी सम्पत्ति न हो।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी नरेगा से सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 हेतु रू0 204/– प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मशीनों से कार्य कराना प्रतिबंधित है, परंतु निम्नाकिंत कार्यों के लिये मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है :– भूमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु–कुआँ खोदने के लिये पंप सेट, कम्प्रेसर हैमर, लिफ्ट

डिवाईस, सड़क निर्माण के लिये—पावर रोलर, ट्रेलर माउन्टेड वाटर ब्रोसर, स्टैटिक स्मूथ विल्ड रोलर आफ 8—20 टन वेट, मैक्निकल मिक्सर, मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिये—मिक्सर और मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन—मशीन फार सी एस ई बी का ब्रिक्स/ब्लाकमेकिंग मशीन, मेकेनिकल ऑगर प्रावधान किया गया है।

12.3.2 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व :—

- भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से ''**सामाजिक अंकेक्षण इकाई**'' का गठन किया गया है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु **''छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गांरटी शिकायत निवारण नियम, 2012''** बनाया गया है।
- योजनांतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य द्वारा www.mgnrega.cg.gov.in में ऑनलाईन व्यवस्था की गई है।
- पारदर्शिता तथा Realtime MIS अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु पूरे राज्य में e-Muster Roll का प्रयोग किया जा रहा है।
- महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत् योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण (निपटारे) के लिए जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
- जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण गठन किया गया है।

12.3.3 गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण :—

- योजनांतर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत् निगरानी की व्यवस्था की गयी है। राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं।

- योजनांतर्गत गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं के सतत् पर्यवेक्षण के साथ ही विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के द्वारा भी आबंटित जिलों में निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

- **BFT (Barefoot Technician) प्रणाली** :– निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट तकनीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। इनका कार्य कामों का चिन्हांकन, ले–आउट करना, किये गये कार्यों का माप करना एवं माप पुस्तिका में दर्ज करने में तकनीकी सहायक को सहायता करना है।

- **GIS (Geogrophic Information System) प्रणाली** :–भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु NRSC (National Remote Sensing Center) के माध्यम से केंद्रीकृत GIS प्रणाली Geo-MGNREGA को क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों को मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से (Geo-tagged (latitude & longitude) फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

- **जनमनरेगा** :–भारत सरकार द्वारा आमजनों के लिये महात्मा गांधी नरेगा की मूलभूत जानकारी तथा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के Geo-tagged के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराये गये हैं। जिसे आमजन जनमनरेगा एप पर देख सकते हैं।

- **National Mobile Monitoring System (NMMS):-** भारत सरकार द्वारा मनरेगा कार्यो के कार्य स्थल से मस्टररोल उपस्थिति लेने हेतु मोबाईल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया।

12.3.4 भुगतान प्रक्रिया :–

- मजदूरी भुगतान समय पर करने के उद्देश्य से PFMS/e-FMS प्रणाली प्रारंभ की गई है। योजना के समस्त भुगतान PFMS/e-FMS से श्रमिकों के बैंक/पोस्ट के खाते में किये जा रहे हैं। नवम्बर, 2016 से NeFMS के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की जा रही है।

- **SECURE SOFTWARE :-**भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाईन प्रदान करने हेतु "SECURE SOFTWARE" (software for estimate calculation using rural rate for employment) का राज्य के सभी 27 जिलों में वर्ष 2018–19 से प्रारंभ किया जा चुका है। जो MIS से लिंक है।

- प्रोजेक्ट उन्नतिः– प्रोजेक्ट उन्नति के तहत् वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत 100 दिवस से अधिक कार्य करने वाले महात्मा गांधी नरेगा के निर्धारित हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से RSETI/DDU-GKY/KVK के द्वारा उनके रूचि के ट्रेड्स अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करते हुए, उन्हे रोजगार/स्व–रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है।

12.3.5 विलंबित मजदूरी भुगतान के लिये मुआवजा :–महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) के अनुसार, श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी के भुगतान के हकदार होते हैं मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के पंद्रह दिन के अंदर भुगतान पाने के हकदार है। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद के विलंब के लिये भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजे के भुगतान के लिये हकदार होता है।

12.3.6 मातृत्व अवकाश भत्ता :– राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को जो विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

12.3.7 कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएंः– कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशुघर (Creche) की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है।

❖ **12.3.8 प्रगति :—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में माह अप्रैल से सितम्बर एवं अप्रैल से मार्च 2022 तक की प्रगति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह सितम्बर 2022 तक की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :—**

तालिका क. 12.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वर्षवार प्रगति

क्र.	मद	2019—20	2020—21	2021—22		2022—23
		अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.
1	पंजीकृत परिवार (लाख में)	38.08	40.94	40.60	41.11	41.13
2	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवार की संख्या (लाख में)	24.41	30.60	22.46	28.54	13.55
3	उपलब्ध राशि (करोड़ में)	3041.88	4537.79	2679.20	4484.64	2281.26
4	व्यय राशि (करोड़ में)	2860.05	4419.35	2270.06	3881.41	1498.81
5	सृजित मानव दिवस (लाख में)	1356.17	1840.93	737.82	1692.37	325.57
6	महिलाओं का प्रतिशत	51%	50%	50%	51%	52%
7	स्वीकृत कार्य संख्या (स्पील ओवर सहित)	7.02	5.25	3.48	4.83	2.96
8	100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या	4,13,885	6,11,991	32,405	5,55,540	6,185

12.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान''(NRLM) :— स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस योजना में शामिल है एवं मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किया जाना है।

12.5 सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund) :— राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व—सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़वा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60—75 हजार रूपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी वापसी महिला स्व—सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है।

तालिका क. 12.6 सामुदायिक निवेश कोष					
क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	12661	20396	12237.87	161%
2	2021-22 (अप्रैल से मार्च)	25321	34402	20641.37	136%
3	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	23180	8292	4975.16	36%

सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन (Cluster Level Federation-CLF) के लिये अनुदान है, परन्तु ग्राम संगठन, स्व सहायता समूह एवं उनके सदस्यों के लिये ऋण के रूप में दिया जाता है। जहां पर संकुल स्तरीय संगठन का गठन हो चुका है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि सीएलएफ के माध्यम से दिया जाता है, परन्तु जिस विकासखण्ड में संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि की राशि सीधे महिला स्व–सहायता समूहों को जनपद के माध्यम से दिया जा रहा है।

12.6 चक्रिय निधि (RevolvingFund) :- चक्रिय निधि की परिकल्पना स्व–सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वैसे स्व–सहायता समूह जो तीन माह से पंचसूत्र (नियमित साप्ताहिक बैठक,नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन–देन, नियमित ऋण वापसी तथा नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण) का पालन कर रहे हों, उन्हें 15,000/– रूपये की राशि चक्रिय निधि के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

तालिका क्र. 12.7 चक्रिय निधि					
क्र.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहाय ता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	25292	24232	3634.8	96%
2	2021-22 (अप्रैल से मार्च)	50583	41621	6243.15	82%
3	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	40000	8640	1296.15	22%

12.7 बैंक लिंकेज :– महिला स्व–सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। महिला स्व–सहायता समूहों को रिपीट ऋण के माध्यम से निरंतर बैंकों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

अनुपालित महिला स्व–सहायता समूह को 03%ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, ताकि स्व–सहायता समूह के सदस्य अपनी आजीविका संबंधी गतिविधि को बढ़ावा दे सके। प्रदेश में वर्तमान में कुल 2,04,750 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित स्व–सहायता समूह है।

तालिका क्र. 12.8 स्व–सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज

क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	41500	17150	27325.76	41%
2	2021-22 (अप्रैल से मार्च)	83000	77657	92481.62	94%
3	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	86000	48480	52480.88	56%

12.8 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) :– दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदाय करना है। राज्य में योजना वर्ष 2014 से YP State के तहत संचालित थी वर्ष 2016 से राज्य को Annual Action Plan का दर्जा प्राप्त हुआ जिसके पश्चात् योजना क्रियान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाता है।

- 15 से 35 आयु वर्ग के इच्छुक ग्रामीण गरीब एवं वंचित वर्ग के युवाओं के लिए विशेष योजना, विशेष समूहों यथा पीवीटीजी, दिव्यांग आदि के लिए 45 वर्ष तक निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रावधान।
- समुचित काउंसलिंग के उपरांत युवाओं की अभिरूचि, योग्यता एवं रोजगार के अवसर के अनुसार प्रशिक्षण।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत रोशनी प्रोग्राम के तहत सुदूर, अतिसंवेदनशील नक्सली क्षेत्रों के युवक–युवतियों को योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- डीडीयू–जीकेवाय (रोशनी) योजना अंतर्गत Live Monitoring System का सफलीभूत क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं परिणाम सकारात्मक आए है इस नवोन्मेश के लिए राज्य को दिनांक 25 सितंबर 2019 को स्कोच अवार्ड प्राप्त हुआ तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के सभी डीडीयू–जीकेवाय केन्द्रों में इसे लागू किया गया।

क्र	वित्तीय वर्ष	कुल प्रशिक्षित	कुल सेटल्ड
01	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	2173	240
02	2021–22 (अप्रैल से मार्च)	10196	2998
03	2022–23 (अप्रैल से सितम्बर)	4400	2034

12.9 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान –

RSETI (Rural Self Employment Training Institute**)** ग्रामीण बी पी एल हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MoRD) के सहयोग से लीड बैंको के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI) की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MoRD) द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में राज्य के 18 जिलों में 03 लीड बैंको के माध्यम R-SETI संचालित है (सेंट्रल बैंक –02 ,बैंक ऑफ बड़ौदा– 05 तथा भारतीय स्टेट बैंक (SBI)–11) शेष 10 जिलों के हितग्राहियों को समीप के R-SETI से प्रशिक्षण करवाया जाता है।

तालिका क. 12.9 RSETI (Rural Self Employment Training Institute)

क्र.	वित्तीय वर्ष	कुल प्रशिक्षित	कुल सेटल्ड
1	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	2016	1553
2	2021–22 (अप्रैल से मार्च)	10030	7354
3	2022–23 (अप्रैल से सितम्बर)	5135	1559

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MoRD) द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट उन्नति अंतर्गत हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु राज्य में संचालित आर–सेटी धमतरी का अभिनंदन (Felicitation) माननीय केन्द्रीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया।

- RSETI अंतर्गत राज्य में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध प्रमुख प्रशिक्षण ट्रेड है – मशरुम उत्पादन, सिलाई प्रशिक्षण, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, मुर्गीपालन, कंप्यूटर लेखांकन, बैंक मित्र, बकरी पालन, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, डेयरी, वर्मी कंपोज्ड, वाहन चालक, टू व्हीलर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेशम कोशा उत्पादन आदि ।

12.10 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एक केंद्र पोषित परियोजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी के लिये आवास के उद्धेश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर एवं कच्चे मकानो में रह रहे गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से 01 अप्रैल 2016 से **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** का कियान्वयन किया जा रहा है।

पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं –

- आवास निर्माण के लिए जगह 25 वर्ग मीटर किया गया है। जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
- मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता राशि रू. 1.20 लाख और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आईएपी जिलों में राशि रू. 1.30 लाख प्रावधानित किया गया है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई (आवास) सहायता लागत का वहन 60:40 के आधार पर किया जाता है।
- सामान्य क्षेत्र के हितग्राही को आवास निर्माण हेतु राशि रू. 1.20/– लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी शौचालय सहित एवं IAP जिलों में कुल राशि रू. 1.30/– लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 95 दिन की मजदूरी शौचालय सहित अनुदान दिया जा रहा है।
- ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आधार पर ही किया जाता है।
- लाभार्थियों के पंजीकृत बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके (एफ.टी.ओ.) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है।
- पीएमएवाई–जी के संबंध में लाभार्थियों को समय–समय पर आवश्यक जानकारी हितग्राही उन्मुखीकरण के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।
- स्थानीय सामाग्रियों, डिजाईनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास का निर्माण किया जा रहा है।

<u>पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण</u>–पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण सामाजिक–आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर किया गया है :–

- स्वतः शामिल परिवार
- शून्य कमरे वाले परिवार
- सभी 5 वंचन सूचकांक में शामिल
- सांसद आदर्श ग्राम और रूरबन के चयनित ग्रामों में सभी पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित करना।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते है।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं हैं।

- पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत/काउंसिल या संबंधित राज्य/सं.शा. क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व–शासन की सबसे निम्नतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य और अल्पसंख्यक वर्गों की अलग–अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किया जाता है। तत्पश्चात ये सूचियां ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है।

भारत सरकार के आवास सॉफ्ट पोर्टल से प्राप्त 25 लाख परिवारों की सूची व ग्रामसभा सत्यापन कर अपिलीय समिति के अनुमोदन उपरांत कुल 18,76,791 पात्र परिवारों का स्थायी प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्य के विरुद्ध स्थायी प्रतीक्षा सूची से हितग्राहियों का चयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्षवार लक्ष्य से लाभान्वित करने के उपरांत स्थायी प्रतीक्षा सूची की स्थिति निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक योजनांतर्गत कुल 10,97,150 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से कुल 10,97,140 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है। स्थायी प्रतीक्षा सूची में कुल 7,79,641 पात्र हितग्राही शेष है, योजना वर्ष 2024 तक लक्षित है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 हेतु कुल स्वीकृत आवास 10,97,140 के विरुद्ध 8,26,836 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 2,70,304 आवास निर्माणाधीन/अपूर्ण है। हितग्राहियों द्वारा स्वयं प्रेरित होकर आवास बनाये जा रहे हैं।

तालिका क. 12.10 वर्षवार भौतिक प्रगति

स. क.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष मे आवास निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध भौतिक प्रगति	
			पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
1	2016–17	2,32,903	2,26,423	6,477
2	2017–18	2,06,372	2,00,964	5,405
3	2018–19	3,48,960	3,26,038	22,918
4	2019–20	1,51,100	73,411	77,689
5	2020–21	1,57,815	0	1,57,815
	योग	**10,97,150**	**8,26,836**	**2,70,304**

12.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :–गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जावे। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि ''सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है''। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

तालिका क्र. 12.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राशि करोड़ रू. में, लंबाई कि.मी. में)

क.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	पूर्ण वृहद पुल की संख्या	व्यय राशि
1	2020–21 (अप्रैल से सितम्बर)	93	131.11	20	362.89
2	2020–21 (अप्रैल से मार्च)	282	4228.46	75	1546.46
3	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	133	305.32	4	600.20
4	2021–22 (अप्रैल से मार्च)	326	2314.34	15	1748.21
5	2022–23 (अप्रैल से सितम्बर)	244	143.21	12	536.14

योजना के प्रारंभ से अब तक 8,539 सड़कें, लंबाई 42,524 किमी. एवं 375 वृहद पुल कुल राशि रु. 16,128 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। माह–सितम्बर 2022 तक 8104 सड़कें, 40,192 किमी. लंबाई एवं 346 वृहद पुल पूर्ण कर रु. 14,716 करोड़ का व्यय किया गया है।

12.12 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :– 23 अप्रैल 2011 से शत–प्रतिशत राज्य पोषित योजना अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं हैं, को डामरीकृत/पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकासखण्डों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या (2011 जनगणना के आधार पर) की बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत अद्यतन निर्माण योग्य 1771 सड़कें, लंबाई 5361 कि.मी., राशि रू. 2727 करोड़ स्वीकृत है। माह–सितम्बर 2022 तक 1693 सड़कें, लंबाई 4780 कि.मी., लंबाई पूर्ण कर रू. 2166 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 12.12 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (राशि करोड़ रू. में, लंबाई कि.मी. में)

क्र.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
1	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	59	133.01	45.70
2	2021-22 (अप्रैल से मार्च)	125	296.40	109.12
3	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	35	35.70	4.14

12.13 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना:–वर्ष 2012–13 से लागू सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण (शहरो में गौरव पथ के तर्ज पर), कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6.00 मी. चौड़ाई की सड़क, बीच में 4.00 मी. चौड़ाई में कांक्रीट मार्ग निर्माण, 0.50 मी. चौड़ाई में दोनों तरफ कांक्रीट पेविंग/खरंजा तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.50 मी. चौड़ाई में "V" आकार की नाली का निर्माण कराया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न हो ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण प्रारंभ नहीं कर कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित करने के निर्देश हैं।

इस योजना अंतर्गत अब तक 7178 कार्य, लंबाई 2143.98 कि.मी., लागत रू. 1330.70 करोड़ की स्वीकृत है, माह सितम्बर 2022 तक कुल 7078 ग्राम गौरवपथ, लंबाई 2101.28 कि.मी. पूर्ण कर राशि रू. 1047.50 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 12.13 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना (राशि करोड़ रू.में, लंबाई कि.मी. में)				
क्र.	वर्ष	पूर्ण गौरवपथ की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
(अ)	2021-22(अप्रैल से सितम्बर तक)	13	7.00	6.2729
	2021-22(अप्रैल से मार्च तक)	20	8.00	8.9147
(ब)	2022-23(अप्रैल से सितम्बर तक)	11	11.00	7.9463

12.14 सांसद आदर्श ग्राम योजना :— 11 अक्टूबर, 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई।

सांसद आदर्श ग्राम योजना— 2 के तहत राज्य के सभी 16 माननीय सांसदो द्वारा उनके कार्यकाल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019—20 से 2023—24 तक प्रत्येक वर्ष हेतु एक—एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाना है। इस प्रकार कुल 80 पंचायतों का चयन अपेक्षित है, जिसके विरूद्ध अब तक कुल 72 पंचायतों का चयन किया जा चुका है एवं इनमें से 61 ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना तैयार कि जा चुकी हैं। इन 61 पंचायतों की ग्राम विकास योजना में 2651 कार्यो को सूचीबद्ध किया गया जिसमें से 765 कार्य पूर्ण हो चुके है जिसकी प्रगति 29 प्रतिशत है।

12.15 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :— 02 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ती के क्रम में पूरे राष्ट्र को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुलें में शौचमुक्त किया जाना था। प्रदेश को खुले में शौचमुक्त किए जाने के क्रम में वर्ष 2012 में हुए आधारभूत सर्वेक्षणों के अनुसार प्रदेश में कुल 26,76,670 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण लक्षित था। वर्ष 2012 के सर्वेक्षणों में छूटे एवं बढ़े हुए परिवारों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में कुल **32,39,197 व्यक्तिगत पारिवारिक** शौचालयों का निर्माण हुआ। तत्समय प्रदेश के समस्त 10,971 ग्राम पंचायतों में से 10728 ग्राम पंचायतें (LWE क्षेत्रों की 246 ग्राम पंचायतों को छोड़कर) 04 जनवरी, 2018 को खुले में शौचमुक्त हुए।

तालिका क. 12.14 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भौतिक प्रगति					
क्र.	मद	वर्ष 2021—22		वर्ष 2022—23 (सितंबर, 2022)	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	154418	70560	135956	46932
2	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	4853	1894	8185	1450
3	सामुदायिक शौचालय	6031	4984	4125	1119

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस 2 :—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्यानुरूप 02 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र खुले में शौचमुक्त घोषित हुआ। 01 अप्रैल, 2020 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के फेस—2 की शुरूआत हुई जिसका क्रियान्वयन 31 मार्च, 2025 तक किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021—22 में उपलब्ध राशि रू. 322.7 करोड़ के विरूद्ध 154.00 करोड़ का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2022—23 में उपलब्ध राशि रू. 314.84 लाख रू. के विरूद्ध (माह सितंबर, 2021 की स्थिति) 111.38 करोड़ राशि का व्यय हुआ।

प्राप्त पुरस्कार :—

- वित्तीय वर्ष 2022—23 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में प्रदेश को पूर्वी राज्यों में प्रथम पुरस्कार।
- वित्तीय वर्ष 2022—23 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में पूर्वी राज्यों में प्रदेश के दुर्ग एवं बालोद जिलों को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार।
- वित्तीय वर्ष 2022—23 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में नारा लेखन में प्रदेश को मध्यम क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार।

1. **12.16 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना** :—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरूआत छत्तीसगढ़ राज्य से दिनांक 21.02.2016 को की गई। मिशन की परिकल्पना अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जन—जीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गांवों के क्लस्टर को ''रूर्बन गांव'' के रूप में विकसित करना है।

2. **लक्ष्यः**— मिशन अंतर्गत देशभर में कुल 300 रूर्बन क्लस्टर का सृजन किया जाना है। उक्त लक्ष्य में से छत्तीसगढ़ राज्य से तीन चरणों में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया है, जिसमें 12 जनजातीय क्लस्टर तथा 07 गैर—जनजातीय क्लस्टर शामिल हैं।

3. **भौतिक उपलब्धि** :—योजना अंतर्गत चयनित समस्त 19 में से 18 क्लस्टर विस्तृत कार्य योजना (डी.पी.आर.) को राज्य स्तरीय सशक्त समिति एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। डीपीआर (Revised) में सम्मिलित कुल 7184 कार्यों में से अक्टूबर 2022 तक 6071 (84.50%) कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिसमें से CGF अंतर्गत कुल 4494 कार्यों में से 3618 (80.50) व अभिसरण अंतर्गत कुल 2690 कार्यों में 2453 (91.18%) कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

4. **वित्तीय उपलब्धि** :—योजनांतर्गत आवश्यक पूरक वित्त पोषण (सीजीएफ) मद में राज्य को कुल राशि रूपए 290.45 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जबकि कुल स्वीकृत सी.जी.एफ. राशि रू. 375.00 करोड़ है, जिसके विरूद्ध राशि रूपए 267.24 करोड़ (92%) का व्यय किया जा चुका है एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं (अभिसरण मद) से लक्षित राशि रू. 1021.90 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 914.56 करोड़ (89.49%) का व्यय किया जा चुका है।

5. **एम.आई.एस.प्रगतिः**—चयनित सभी 18 क्लस्टर के विस्तृत कार्ययोजना के एमआईएस पोर्टल पर एंट्री पूर्ण करने वाला देश का पहला राज्य बना। वर्तमान में समस्त क्लस्टर में रूर्बन सॉफ्ट पोर्टल पर FTO के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। मिशन अंतर्गत जीओ टैगिंग का पायलट रन वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है तथा अभी तक कुल 5158 (84.96%) कार्यों की जीओ टैगिंग पूर्ण कर ली गई है।

6. **राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि** — भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय जारी पत्र क्रमांक K-11033/10/2018-Rurban-Part-2 दिनांक 08.01.2021 अनुसार छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है।

7. भारत सरकार द्वारा देश के 75 शीर्ष रूर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ राज्य के 14 क्लस्टरों को शामिल किया गया है।

12.17 रोजगार सेवा —

12.17.1 युवा क्षमता विकास योजना:—प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं एवं ऋण अदायगियों में ऐसी कुछ सुविधा प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास के राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पारकर अपनी क्षमता का विकास कर सकें । इसी उद्देश्य को दृष्टिगत कर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं की क्षमता में वृद्धि करने के लिए ''युवा क्षमता विकास योजना'' प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान है—

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100 प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट।

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1,000/– प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

(घ) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नात्कोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800 प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

योजान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 4.60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.17.2 रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प का आयोजनः–प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रोजगार के 92 प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरांत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किये हैं।

निजी क्षेत्रों मे रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदान करने के शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करने, प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय युवाओं हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.17.3 भारतीय सैन्य बलों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण :– छत्तीसगढ़ शासन के दूरदर्शी नीति के फलस्वरूप भारतीय सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों हेतु भर्ती रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के युवाओं की भागीदारी भारतीय सैन्य बलों में बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। शासन द्वारा रोजगार विभाग को आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर भारतीय सैन्य बलों की भर्ती रैली के सफल आयोजन एवं उन रैलियों में राज्य के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार एवं भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार विभाग के

माध्यम से की जाती है। इसका सुपरिणाम राज्य के युवाओं के चयन में निरंतर वृद्धि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 64 लाख़ का बजट प्रावधान किया गया है।

''**रोजगार पक्ष**'' की विभागीय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 12.15 रोजगार पक्ष'' की विभागीय योजनाओं का विवरण (राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021–22 (अप्रैल से सितं.)				वर्ष 2021–22 (अप्रैल से मार्च)				वर्ष 2022–23 (अप्रैल से सितं.)			
		उपलब्धि				उपलब्धि				उपलब्धि			
		भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय		
			प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	युवा क्षमता विकास योजना	0	460.00	0	0	3568	460.00	17.84	3.88	0	460.00	0	0
2	रोजगार मेला प्लेसमेंट केम्प	1248	100.00	3.96	3.96	3533	100.00	35.89	35.89	3255	100.00	7.09	7.09
3	सेना भर्ती	0	64.00	0.32	0.50	0	64.00	3.08	4.81	0	64.00	2.08	3.25